

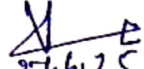
आदेश फलक

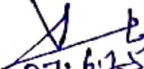
आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर विविध (जमाबंदी) वाद सं०- <u>20/2025-26</u> बनाम मो० मजहर आलम, पिता- स्व० शेख मंजूर अली, ग्राम+पो०-खड़पोस, मझगाँव।	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपणी, तारीख सहित
27-06-2025	<u>आदेश</u> आवेदक मो० मजहर आलम, पिता- स्व० शेख मंजूर अली, ग्राम+पो०-खड़पोस, थाना-मझगाँव के आवेदन के आलोक में इस अभिलेख की कार्रवाई प्रारंभ की गयी। आवेदक के आवेदन के अनुसार उनके नाम से मौजा-खड़पोस, थाना नं० 357, खाता सं० 11, प्लॉट सं० 3017, रकवा- 10 डी० जमीन रजिस्टर-II में ऑनलाइन दर्ज करने का अनुरोध किया है। आवेदक मो० मजहर आलम ने अपने आवेदन के साथ बिक्री दलील सं० 782, दिनांक 17.10.2012 की छायाप्रति, नामांतरण वाद सं० 23/2012-13 के शुद्धिपत्र की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति एवं खाता सं० 11 के मुल खतियान की छायाप्रति संलग्न किया है। आवेदन एवं संलग्न कागजातों के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की माँग की गई जिनका प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक मजहर आलम, पिता-स्व० शेख मंजूर, ग्राम+पो० खड़पोस ने अपनी क्रय की हुई भूमि मौजा-खड़पोस, खाता सं० 11, प्लॉट सं० 3017, रकवा - 0.10 एकड़ ऑनलाइन पंजी II में दर्ज करने हेतु आवेदन किया है। उक्त के आलोक में राजस्व अभिलेख(खतियान) का अवलोकन किया पाया कि मौजा-खड़पोस, थाना नं० 357, खाता नं० 11, प्लॉट नं० 3017, किस्म-गोड़ा दो, कुल रकवा 1.11 एकड़ भूमि हाल सर्वे में-शेख अब्दुल रहमान, पिता-महम्मद याकूब के नाम पर दर्ज है। नामांतरण वाद सं० 23/2012-13 एवं बिक्री केवाला 782, दिनांक-17.10.2012 द्वारा विक्रेता-शेख अताउर रहमान, पिता-स्व० शेख अब्दुल रहमान ने क्रेता-मजहर आलम, पिता- शेख मंजूर अली को मौजा-खड़पोस, थाना नं० 357, खाता नं० 11, प्लॉट नं० 3017, कुल रकवा 1.11 एकड़ मध्ये 0.10 एकड़ भूमि बिक्री किया है। कार्यालय का नामांतरण पंजी से संलग्न शुद्धि पत्र का मिलान किया एवं सही पाया। अतः आवेदित भूमि को ऑनलाइन पंजी II में दर्ज की जा सकती है। प्रधान सहायक ने प्रतिवेदित किया है कि अंचल कार्यालय के पंजी 27 से आवेदक द्वारा संलग्न शुद्धि पत्र का छायाप्रति से मिलान किया, केस नं० 23/2012-13 का नामांतरण स्वीकृत है। आम इश्तेहार का तामिला कराया गया। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा प्रधान सहायक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक मो० मजहर आलम, पिता- स्व० शेख मंजूर अली, ग्राम+पो०-खड़पोस, थाना-मझगाँव ने बिक्री दलील सं० 782, दिनांक 17.10.2012 के द्वारा विक्रेता-शेख अताउर रहमान, पिता-स्व० शेख अब्दुल, ग्राम+पो० खड़पोस, थाना-मझगाँव से मौजा-खड़पोस, थाना	

नं० 357, खाता सं० 11, प्लॉट सं० 3017, रकवा- 10 डी० भूमि क्रय किया है जिसका नामांतरण मु०सं०-23/2012-13 द्वारा नामांतरण स्वीकृत है और क्रेता के नाम से मुण्डा द्वारा लगान रसीद निर्गत है। अतः उक्त आलोक में आवेदित भूमि को क्रेता मो० मजहर आलम, पिता- स्व० शेख मंजुर अली, ग्राम+पो०-खड़पोस, थाना-मझगाँव के नाम से ऑनलाइन प्रविष्ट करने की स्वीकृति दी जाती है। उक्त के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ऑनलाइन पंजी II के पृष्ठ सं० 6 भाग सं० 1 में मूल रैयत-शेख अब्दुल रहमान, पिता-महम्मद याकूब की जमाबंदी से खाता सं० 11, प्लॉट सं० 3017 के कुल रकवा 1.11 एकड़ मधे रकवा 0. 10 एकड़ घटाकर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

1/2

लेखापित एवं
संशोधित


21.6.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।


21.6.25
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।